संख्या-339/2017/2000/22-2-2016-17(42)/2009

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 15 मई, 2017***

विषय: केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी महेन्द्र पुत्र श्री सुम्मेरी निवासी जनपद-मुरादाबाद की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-38320/पर-2 (एम0-13-10-2016) दिनांक-26-10-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी महेन्द्र पुत्र श्री सुम्मेरी, निवासी-गोबिन्दपुर कला, थाना-बिलारी, जनपद-मुरादाबाद का रहने वाला है। दोनों पक्षों के मध्य लम्बे समय से चल रही दीवानी की मुकदमेबाजी की रंजिश के कारण बन्दी ने दिनांक 03.05.1977 को 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर गजराम सिंह नामक व्यक्ति की लाठी, डण्डों से पीटकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-555/1977 में भा0द0वि0 की धारा- 302, 307/149, 148 के अन्तर्गत मा0 द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरादाबाद के आदेश दिनांक 10.04.1978 द्वारा आजीवन कारावास तथा 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर देव कुंवर की हत्या एवं दो को घायल करने हेतु सत्र परीक्षण सं0-867/1988 में भा0द0वि0 की धारा-302/149 के अन्तर्गत मा0 तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरादाबाद के आदेश दिनांक 14.08.1991 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। उक्त सत्र परीक्षण सं0-555/1977 में पारित आजीवन कारावास के विरूद्ध क्रि0 अपील सं0-1092/78 योजित की गयी जिसमें पारित आदेश दिनांक 09.08.1988 द्वारा सजा यथावत रखी गयी है। बन्दी द्वारा दिनांक 01.10.2016 तक 24 वर्ष 05 माह 19 दिन की अपरिहार सजा तथा 32 वर्ष 07 माह 15 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है। सलाहकार समिति द्वारा अपनी आख्या में उल्लेख किया गया है कि दोनों पक्षों के मध्य लम्बे समय से चल रही दीवानी की मुकदमेबाजी की रंजिश के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

कारण बन्दी ने दिनांक 03.05.1977 को 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर गजराम सिंह नामक व्यक्ति की लाठी, डण्डों से पीटकर हत्या कर दी। बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बन्दी द्वारा अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर गजराम सिंह नामक व्यक्ति की लाठी, डण्डों से पीटकर हत्या करने का अपराध कारित किया गया है। अत: बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता तथा मा0 न्यायालय की राय के दृष्टिगत जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत शेष सजा का परिहार करते हुए सिद्धदोष बन्दी महेन्द्र पुत्र श्री सुम्मेरी को रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी महेन्द्र (बन्दी संख्या-45442) पुत्र श्री सुम्मेरी, निवासी जनपद-मुरादाबाद की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-339/2017/2000(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।